न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 78 / 2018

उनवान

1 नन्दू पत्नी सूरजमल
2. रामदेव पुत्र हगामा समस्त जाति कुम्हार नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार
2. रामधन पुत्र सूरजमल
3. छगना पुत्र सूरजमल
4. लादू पुत्र हगामा समस्त जाति कुम्हार नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
–– प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.10.18

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4166 रकबा 9–18–00 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को आवंटन / नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 587 दिनांक 28.2.02 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 541 व 546 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.70, 546 रकबा 0.90 का खातेदार वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी नियमन के तथ्य रेकार्ड से सिद्व करे। सिवायचक दर्ज करने का कारण वादीगए का वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को विधिवत नियमन हुयी थी ?
–– वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
–– वादी
–– वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में रामदेव पुत्र हंगामा के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट व जॉच रिपोर्ट मय राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4166 रकबा 9–18–0 वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को कैम्प ग्राम पंचायत लोहरवाडा में दिनांक 28.12.01 को नियमन हुयी वादीगण द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश क 255 दिनांक 31.12.01 अनुसार राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप)–6) विभाग, जयपुर के पत्र कंमाक प–6 (39) राज–6/2001/60 दिनांक 28.9.01 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु आंवटन/नियमतिकरण सलाहकार समिति की बैठक भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निराकरण के सम्बन्ध में क्रम संख्या 51 में वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी नियमन की गयी।

उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 587 दिनांक 25.1.02 को भरा गया जो दिनांक 28.2.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 4166 रकबा 9–18–0 के हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.70 व 546 रकबा 0.90 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर नियमन के विरूद्व किसी भी न्यायालय में 14 (4) की कार्यवाही नही की गयी है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी सहवन से सिवायचक दर्ज हुयी है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.70 व 546 रकबा 0.90 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नन्दू बनाम राज0 सरकार वगै

दावा बाबत :— 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 78/2018
पेश करने की दिनांक – 28.6.18

यह मुकदमा आज वास्ते इत्तफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 541 रकबा 0.70 व 546 रकबा 0.90 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 10 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner